

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

{समक्ष—अमित कुमार गुप्ता}

विविध आप0प्र0क0 20/2015

संस्थापित दिनांक—23/11/2015

श्रीमती सैकी पत्नी इन्द्रजीत आयु 22 साल

निवासी राजपुरा थाना सरमथुरा, तहसील बाडी

जिला धौलपुर राजस्थान, हाल ग्राम लोधे की पाली

थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदिका

बनाम

इन्द्रजीत पुत्र बाबूसिंह परमार

निवासी राजपुरा आंगई, तहसील बाडी

जिला धौलपुर, राजस्थान

..... अनावेदक

::- आ दे श -::

(आज दिनांक 17.10.16 को पारित किया)

इस आदेश के द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 125 दप्रसं0 1973 (जिसे अत्र पश्चात् “संहिता” कहा जाएगा), वास्ते अनावेदक से भरणपोषण राशि दिलाए जाने बावत्, का निराकरण किया जा रहा है।

2. अनावेदक बाद तामील उपस्थित हुआ तथा अंतरिम भरणपोषण आवेदन पत्र के निराकरण उपरांत अनुपस्थित हो गया जिससे उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

3. आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से दिनांक 01.06.13 को हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार ग्राम लोधे की पाली में संपन्न हुआ था। जिसमें आवेदिका के पिता द्वारा अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था जिसमें सोने चांदी के आभूषण, ग्रहस्थी का सामान, टी0व्ही0, फ्रिज, सोफा सेट, डबल बैड, कूलर पंखा, वाशिंग मशीन, वर्तन आदि सामान तथा नगद एक लाख रुपये दिए थे। शादी के समय आवेदिका को अच्छे से रखा किन्तु जब दुबारा वह ससुराल गयी तो ससुराल जन उसे दहेज के लिए ताना देने लगे तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 08.10.15 को अनावेदक इन्द्रजीत, जेठ जिठानी, सास ने दहेज के लिए आवेदिका को जला दिया जिसमें आवेदिका बुरी तरह से जल गयी तब अपने पिता को फोन करके बुलाया तो अनावेदक व उसके परिवारजन के विरुद्ध अपराध थाना सरमथुरा में

पंजीबद्ध किया गया तब से आवेदिका अपने पिता के साथ ग्राम लोधे की पाली में निवास कर रही है। आवेदिका अनपढ़ है, उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है। जबकि अनावेदक राजपुरा आंगई में पत्थर की खदान चलाता है जिससे उसकी मासिक आय करीब बीस हजार रुपये है। अनावेदक के हिस्से में चार वीघा भूमि है जिससे बीस हजार रुपये की आय होती है। अतः आवेदिका द्वारा बीस हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए यह लेख किया है कि शादी में मात्र 11 हजार रुपये नगद दिए थे, अन्य कोई सामान नहीं दिया था। आवेदिका को ससुराल में दहेज की मांग के लिए कभी परेशान नहीं किया गया। उसकी मारपीट करने वाली बात पूर्णतः असत्य है जबकि आवेदिका की मानसिक स्थिति खराब थी जिसे बिना बताए धोखा देकर आवेदिका की अनावेदक से शादी कर दी। आवेदिका का ग्वालियर, आगरा, धौलपुर कई जगह इलाज कराया और जानकारी हो जाने पर भी उसको अपने साथ रख कर इलाज कराया। दिनांक 08.10.15 को उसकी कोई मारपीट नहीं की और न उसे जलाया गया। आवेदिका के पिता को उसकी लडकी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात बताई तब उन्होंने कहा था कि पर्चे दे दो बाकी इलाज हम करायेंगे। आवेदिका और सारी दवाई के पर्चे अपने साथ ले आए और बिना किसी कारण के अपने पास रखे हुए हैं। अनावेदक को परेशान करने के लिए झूठी रिपोर्ट कराई थी। अनावेदक पेशे से मजदूर व्यक्ति है वह कोई खदान नहीं चलाता, खदान में पत्थर तोड़ने का काम करता है, उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है अपने पिता के साथ गाय भैंस रखकर दूध बेचकर प्रतिमाह पांच हजार रुपये कमाकर अपना भरणपोषण करता है। अतः प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5 प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1-क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
- 2-क्या आवेदक अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
- 3-क्या अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण करने में इंकार या उपेक्षा कर रहा है ?
- 4-क्या आवेदिका भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं ?
- 5-सहायता एवं व्यय।

सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में आवेदक की ओर से आवेदिका सैकी आ0सा01, मुन्नीबाई आ0सा0 2 तथा रामलखन आ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है। जबकि दस्तावेजों में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है।

7. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न हुई परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
8. प्रकरण में आवेदिका सैकी आ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती है कि उसकी शादी अनावेदक के साथ हिन्दू रीतिरिवाज से हुई थी। शादी में उसके पिता द्वारा सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसको ससुराल में कुछ दिन अच्छे से रखा किन्तु इसके बाद उसके पति तथा ससुरालजन सास, जेठ, जिठानी दहेज के लिए उसे प्रताडित करने लगे। ग्यारह माह पूर्व उन लोगों ने चाकू गर्म करके उसे बुरी तरह जला दिया तब से वह अपने पिता के घर रह रही है। इसी तथ्य का समर्थन मुन्नी आ0सा0 2 व रामलखन आ0सा0 3 द्वारा किया गया है। आवेदिका अनावेदक की विवाहिता वैध पत्नी हैं इस तथ्य को खण्डित किए जाने हेतु अभिलेख पर कोई तथ्य नहीं हैं और न ही अपने जबाब में अनावेदक की ओर से इसका कोई खण्डन किया गया है। जहां तक आवेदिका का उसके पति/अनावेदक के साथ न रहने का कारण उसे दहेज के लिए प्रताडित किए जाने का बताया है। यद्यपि अनावेदक द्वारा उसके जबाब में खण्डन किया गया है किन्तु साक्ष्य के अभाव में उक्त अभिवचन का कोई मूल्य नहीं हैं। जबकि आवेदिका की साक्ष्य अखण्डनीय है कि उसे दहेज के लिए प्रताडित किया गया है।
9. आवेदिका सैकी आ0सा0 1 ने यह कथन किया है कि अनावेदक की पत्थर की दो खदानें हैं जिनसे मासिक 20 हजार रुपये तथा चार बीघा जमीन से वार्षिक 20 हजार रुपये की आय होती है। जबकि आवेदिका पढी लिखी नहीं हैं जिससे उसके पास आय का कोई साधन नहीं हैं। मुन्नी आ0सा0 2 तथा रामलखन आ0सा0 3 ने भी इसी प्रकार का कथन किया है। उक्त कथन को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। यद्यपि अनावेदक के खदान के मालिक होने तथा चार बीघा जमीन के संबंध में कोई दस्तावेजी आधार पेश नहीं किया है, मौखिक कथनों पर अखण्डनीय होने से अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। आवेदिका के पढे लिखे न होने से उसके पास आय का साधन न होने का तथ्य प्रकट किया है जिसके शिक्षित न होने के संबंध में कथन अखण्डनीय हैं। उसके आय का कोई साधन हैं इस संबंध में भी अभिलेख पर कोई तथ्य नहीं हैं। ऐसे में आवेदिका का अशिक्षित महिला होकर अपने पति से प्रथक रहकर जीवन यापन करना दर्शित हो रहा है। अनावेदक की आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं किन्तु वह शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम हो ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं ऐसे में उसके पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति के रूप में उपधारणा करने का आधार है।
10. प्रत्येक व्यक्ति का न केवल नैतिक बल्कि वैधानिक दायित्व है कि वह उसकी विवाहिता पत्नी का अपने सामर्थ्य अनुसार भरणपोषण करे। अनावेदक जो स्वयं को पत्थर की खदान में मजदूरी करना बता रहा है। यदि मजदूरी के आधार पर भी उसकी मासिक आय 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गणना में ली जावे तो लगभग 9 हजार रुपये की आय होती है। ऐसे में न्यायालय का

ध्यान न्यायदृष्टांत रामदयाल वैश्य विरुद्ध अनीता कुमारी 2004 सी0आर0एल0जे0 3669 की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि व्यक्ति कमाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो दंप्रसं0 की धारा 125 के संबंध में यह माना जाएगा कि वह पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। साथ ही न्यायदृष्टांत श्रीमती शीलाबाई व अन्य विरुद्ध अशोक कुमार आई0एल0आर0 2014 म0प्र0 832 में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पति स्वस्थ और योग्य शरीर वाला है तो वह उसके पत्नी एवं बच्चों के भरणपोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। अतः यदि पति साधू भी हो गया है तो भी अपनी पत्नी व बच्चों के भरणपोषण का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत हरदेवसिंह विरुद्ध उ0प्र0 राज्य 1995 सी0आर0एल0जे0 1652 अवलोकनीय हैं।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों की अधिप्रबलता के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होते हुए आवेदकगण अर्थात् अपनी पत्नी व अवयस्क संतानों का भरण पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है। ऐसी दशा में उसका वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी एवं अवयस्क संतानों का भरण पोषण सामर्थ्य अनुसार करे। आवेदिका जो कि पांच हजार रुपये के राशि का भरण पोषण चाहती है, उसके द्वारा कथित 5 हजार रुपये का व्यय का विवरण नहीं दिया गया है किन्तु अनावेदक मजदूरी करके अपनी आय अर्जित करता है और उसकी मजदूरी तीनसौ रुपये प्रतिदिन के अनुसार करीब 9000/- रुपये प्रतिमाह अर्जित होती है। ऐसे में वर्तमान में तेजी से बढ़ रही वस्तुओं की कीमत एवं संसाधनों पर होने वाले व्यय तथा आजीविका एवं शिक्षा के व्यय को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण राशि को नियत किया जाना समीचीन हैं।

12. अतः आवेदन पत्र विचारोपरांत स्वीकार करते हुए आवेदिका के प्रति अनावेदक के भरण पोषण दायित्व को निर्धारित करते हुए 2000/- रुपये (दो हजार) प्रतिमाह अनावेदक आवेदक को प्रत्येक अंग्रेजी माह की 15 तारीख तक निवदत्त या संदत्त करेगा अन्यथा मनी आर्डर द्वारा भुगतान करेगा।

13. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि की अदायगी आवेदन प्रस्तुति दिनांक से किए जाने के लिए अनावेदक बाध्य होगा तथा पूर्व में अंतरिम भरणपोषण के रूप में प्राप्त की गयी राशि अंतिम आदेश में हिसाब में ली जावेगी। साथ ही आवेदिका द्वारा अन्य विधि के अधीन किसी भरण पोषण राशि के दावा किए जाने के समय यह भरण पोषण राशि विचार में ली जा सकेगी।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर पारित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)